

16 ⁰⁹/₁₉

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक मानकी देवगम, पिता- स्व० जयसिंह देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाडबांध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 60, प्लॉट नं०- 945, रकवा- 0.02½ एकड़ भूमि क्रेता अभिराम सावैयाँ, पिता- चन्द्र मोहन सावैयाँ, ग्राम-सिंहपोखरिया, थाना- मुफफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना०मु०सं-270(M)/2011-12 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 623, दिनांक- 7.09.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता अभिराम सावैयाँ, पिता- चन्द्रमोहन सावैयाँ, ग्राम- सिंहपोखरिया, थाना- मुफफसिल चाईबासा के पास 3,00,000.00/- (तीन लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफफसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में मानकी देवगम, पिता- स्व० जयसिंह देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफफसिल, क्रेता अभिराम सावैयाँ, पिता- चन्द्र मोहन सावैयाँ, ग्राम- सिंहपोखरिया, थाना- मुफफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 3,00,000.00/- (तीन लाख) में मौजा- तमाडबांध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 60, प्लॉट नं०- 945, रकवा- 0.02½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

मूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

मूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।